दिनांक 23.10.2024
प्रेस विज्ञप्ति 35/2024

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

कमिश्नरेट गाजियाबाद/थाना मुरादनगर

- **50 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट के सोने के आभूषण**
- **नगद रूपये**
- **घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल आदि बरामद**

दिनांक 22.10.2024 को थाना मुरादनगर, थाना मधुबन बापूधाम व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर पुरस्कार घोषित अभियुक्त जितेन्द्र उर्फ रवि उर्फ विजय को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से लूट के सोने के आभूषण, नगद रूपये, घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध कमिश्नरेट गाजियाबाद के विभिन्न थानो में लूट आदि के 04 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त कमिश्नरेट गाजियाबाद से वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु कमिश्नरेट स्तर से 50 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना मुरादनगर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—जितेन्द्र उर्फ रवि उर्फ विजय निवासी ग्राम कतीब बटाला थाना सदर जनपद गुरूदासपुर पंजाब।

बरामदगी

1—लूट के सोने के आभूषण।

2—नगद रूपये।

3—घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल आदि।

जनपद रायबरेली/थाना लालगंज

- **लूट की घटना का अनावरण**
- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट/चोरी के 01 लाख 10 हजार रूपये नगद**
- **लूट/चोरी के सोने–चाँदी के आभूषण, पासबुक, आधार कार्ड**
- **घटना में प्रयुक्त चोरी की 01 मोटर साइकिल**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस आदि बरामद**

दिनांक 22.10.2024 को थाना लालगंज व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर डलमऊ–फतेहपुर बाईपास के पास से 02 अभियुक्तों 1–अमर सिंह उर्फ पप्पू 2–मन्नू को गिरफ्तार कर लूट की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लूट/चोरी के 01 लाख 10 हजार रूपये नगद, लूट/चोरी के सोने–चाँदी के आभूषण, पासबुक, आधार कार्ड, घटना में प्रयुक्त चोरी की 01 मोटर साइकिल, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 17.10.2024 को थाना लालगंज क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बदमाशों द्वारा लूट की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना लालगंज पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद रूपया, आभूषण आदि लूट/चोरी की घटना से सम्बन्धित है। गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त अमरसिंह उर्फ पप्पू के विरूद्ध जनपद रायबरेली व छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश एवं उड़ीसा प्रान्त के विभिन्न थानो में लूट, चोरी, आर्म्स एक्ट आदि के 14 अभियोग, अभियुक्त मन्नू के विरूद्ध जनपद रायबरेल व मध्यप्रदेश प्रान्त के विभिन्न थानो में लूट, चोरी, आर्म्स एक्ट आदि के 09 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना लालगंज पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—अमर सिंह उर्फ पप्पू निवासी ग्राम दीवानपुर थाना पत्थल गांव जनपद जशपुर छत्तीसगढ़।

2—मन्नू निवासी ग्राम दीवानपुर थाना पत्थल गांव जनपद जशपुर छत्तीसगढ़।

बरामदगी

1—लूट/चोरी के 01 लाख 10 हजार रूपये नगद।

2—लूट/चोरी के सोने—चाँदी के आभूषण, पासबुक, आधार कार्ड।

3—घटना में प्रयुक्त चोरी की 01 मोटर साइकिल।

4—01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस आदि।

जनपद एटा/थाना जलेसर

- **चोरी की घटना का अनावरण**
- **03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के 01 लाख 14 हजार रूपये नगद**
- **01 मोबाइल फोन**
- **घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट) बरामद**

दिनांक 22.10.2024 को थाना जलेसर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर फिरोजाबाद रोड पर चेकिंग के दौरान 03 अभियुक्तों 1—अवतार 2—मासूम 3—जानू को गिरफ्तार कर चोरी की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी के 01 लाख 14 हजार रूपये नगद, 01 मोबाइल फोन, घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट) बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 15.10.2024 को थाना जलेसर क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरो द्वारा चोरी की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना जलेसर पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद रूपया चोरी की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना जलेसर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–अवतार निवासी ग्राम प्रकाश नगर वाजनी थाना देहात जनपद दतिया मध्यप्रदेश।

2–मासूम निवासी ग्राम प्रकाश नगर वाजनी थाना देहात जनपद दतिया मध्यप्रदेश।

3–जानू निवासी ग्राम प्रकाश नगर वाजनी थाना देहात जनपद दतिया मध्यप्रदेश।

बरामदगी

1–चोरी के 01 लाख 14 हजार रूपये नगद।

2–01 मोबाइल फोन।

3–घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट)।

कमिश्नरेट गाजियाबाद/थाना अंकुर विहार

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 07 मोटर साइकिल आदि बरामद**

दिनांक 23.10.2024 को थाना अंकुर विहार पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर किकडो के पास से 02 अभियुक्तों 1–सन्नी 2–विजय उर्फ विक्की को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 07 मोटर साइकिल आदि बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना अंकुर विहार पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–सन्नी निवासी शिव विहार फेस–2 थाना करावल नगर दिल्ली।

2–विजय उर्फ विक्की निवासी शिव विहार फेस–2 थाना करावल नगर दिल्ली।

बरामदगी

1–चोरी की 07 मोटर साइकिल आदि।

जनपद मेरठ/थाना लोहियानगर

- **पुलिस कार्यवाही में 01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **04 निर्मित/अर्द्धनिर्मित अवैध शस्त्र विभिन्न बोर**
- **06 मैगजीन, 02 नाल, 01 खोखा कारतूस**
- **अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण**
- **चोरी की 01 मोटर साइकिल बरामद**

दिनॉकः 22.10.2024 की रात्रि थाना लोहिया नगर व थाना कोतवाली की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर चिन्दौडी पुलिया के पास बदमाश की घेराबन्दी की गयी तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त असलम घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 04 निर्मित/अर्द्धनिर्मित अवैध शस्त्र विभिन्न बोर, 06 मैगजीन, 02 नाल, 01 खोखा कारतूस, अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण, चोरी की 01 मोटर साइकिल बरामद हुयी। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध जनपद मेरठ के थाना लेसाड़ी गेट पर हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के कई अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना लोहियानगर पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–असलम निवासी तम्बाकू गोदाम वाली गली इस्लामाबाद थाना लिसाड़ी गेट जनपद मेरठ।

बरामदगी

1–04 निर्मित/अर्द्धनिर्मित अवैध शस्त्र विभिन्न बोर।

2–06 मैगजीन, 02 नाल, 01 खोखा कारतूस।

3–अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण।

4–चोरी की 01 मोटर साइकिल।

कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर/थाना सेक्टर–63

- **03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **धोखाधड़ी के 06 लाख 90 हजार रूपये नगद**
- **05 मोबाइल फोन, 01 टैब, 01 पैन ड्राइव आदि बरामद**

दिनांक 23.10.2024 को थाना सेक्टर–63 पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्रीन बेल्ट ए–ब्लॉक डंपिग यार्ड के पास से 03 अभियुक्तों 1–योगेन्द्र उर्फ अनीस 2–मनोज उर्फ रिजवान 3–अभियुक्ता को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से धोखाधड़ी के 06 लाख 90 हजार रूपये नगद, 05 मोबाइल फोन, 01 टैब, 01 पैन ड्राइव आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जो विदेशी कंपनी के फर्जी अपॉइंटमेंट लेटर बनाकर विदेश में नौकरी दिलाने का झांसा देकर धोखाधड़ी की घटना कारित की जाती है।

इस सम्बन्ध में थाना सेक्टर–63 पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–योगेन्द्र उर्फ अनीस निवासी ग्राम बड़ा मलहेरा थाना बड़ामलहेरा जनपद छतरपुर मध्यप्रदेश, हालपता पीतमपुरा थाना रानीबाग दिल्ली।

2–मनोज उर्फ रिजवान निवासी बी–ब्लॉक मैट्रो बिहार होलम्बी कला थाना नरेला इण्डस्ट्रियल एरिया दिल्ली, हालपता ए.जी–3 ग्राउण्ड फ्लोर बालाजी अपार्टमेन्ट मुन्डका दिल्ली।

3–अभियुक्ता।

बरामदगी

1–धोखाधड़ी के 06 लाख 90 हजार रूपये नगद।

2–05 मोबाइल फोन, 01 टैब, 01 पैन ड्राइव आदि।

- **<u>कमिश्नरेट आगरा (गैंगेस्टर एक्ट में लगभग 02 करोड़ 60 लाख 88 हजार रूपये कीमत की सम्पत्ति कुर्क/जब्तीकरण की कार्यवाही)</u>**

कमिश्नरेट आगरा पुलिस ने अभियुक्त 1–मो0इरमान 2–इरफान कुरैशी उर्फ भोला पुत्रगण हारून निवासीगण टीला अजमेरी खाँ थाना मण्टोला कमिश्नरेट आगरा द्वारा अवैध रूप से अर्जित की गयी चल/अचल सम्पत्ति कीमत करीब 02 करोड़ 60 लाख 88 हजार रूपये को गैंगेस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अन्तर्गत कुर्क/जब्तीकरण की कार्यवाही अमल में लायी गयी।

- **<u>जनपद मऊ (गैंगेस्टर एक्ट में लगभग 01 करोड़ 81 लाख 74 हजार रूपये कीमत की सम्पत्ति कुर्क/जब्तीकरण की कार्यवाही)</u>**

जनपद मऊ पुलिस ने अभियुक्त अफजाल पुत्र इरफान खान निवासी नेवादा पठानपुरा थाना मरदह जनपद गाजीपुर द्वारा अपने रिश्तेदार के नाम पर अवैध रूप से अर्जित की गयी अचल सम्पत्ति कीमत करीब 01 करोड़ 81 लाख 74 हजार रूपये को गैंगेस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अन्तर्गत कुर्क/जब्तीकरण की कार्यवाही अमल में लायी गयी।

- **<u>जनपद सहारनपुर/थाना फतेहपुर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 40 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद सहारनपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद सहारनपुर द्वारा थाना फतेहपुर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 377 भादवि व 5/6 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त चन्द्रपाल को आजीवन कारावास व 40 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद सीतापुर/थाना तालगांव (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 02 अभियुक्तो को आजीवन कारावास की सजा व 20–20 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद सीतापुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद सीतापुर द्वारा थाना तालगांव पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/201 भादवि के

अन्तर्गत अभियुक्त 1—संदीप 2—राकेश कुमार को आजीवन कारावास व 20—20 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद बाराबंकी/थाना कुर्सी (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 35 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद बाराबंकी पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बाराबंकी द्वारा थाना कुर्सी पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/201 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त मो0आतिफ को आजीवन कारावास व 35 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद बाराबंकी/थाना मसौली (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 02 अभियुक्तों को 10—10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व 16—16 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद बाराबंकी पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बाराबंकी द्वारा थाना मसौली पर पंजीकृत अभियोग में धारा 304(2)/34/323/325/504 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1—विजय कुमार 2—संतोष कुमार को 10—10 वर्ष के सश्रम कारावास व 16—16 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद अमेठी/थाना गौरीगंज (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 25 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद अमेठी पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद अमेठी द्वारा थाना गौरीगंज पर पंजीकृत अभियोग में धारा 506 भादवि व 4 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त राजकुमार को 10 वर्ष के कठोर कारावास व 25 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

एस0टी0एफ0–अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मादक पदार्थो की तस्करी करने वाला 01 तस्कर, 11.582 किलोग्राम चरस के साथ गिरफ्तार।

दिनांक 23–10–2024 को एस0टी0एफ0 उ0प्र0 को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले 01 तस्कर को 11.582 किलो ग्राम चरस (अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य लगभग 60 लाख रूपये) के साथ गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता–

1– तौसीफ रजा पुत्र मो0 जमाल, नि0 रक्सिया, थाना सीतामढ़ी, जनपद सीतामढ़ी, बिहार हालपता–तोनिका सिटी गाजियाबाद उत्तर प्रदेश।

बरामदगी–

(1) 11.582 किलोग्राम चरस (अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य लगभग 60 लाख रूपये)

(2) 1,637 रूपये नकद।

गिरफ्तारी का स्थान दिनांक व समय–

अहमदपुर टोल प्लाजा थाना जैदपुर, जनपद बाराबंकी। दिनांक 23–10–2024 समय करीब 12:40 बजे रात्रि।

एस0टी0एफ0 उत्तर प्रदेश को विगत काफी दिनों से मादक पदार्थो की तस्करी करने वाले अन्तर्राष्ट्रीय तस्करो के सक्रिय होने की सूचना प्राप्त हो रही थी। इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 की विभिन्न इकाईयो/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। जिसके अनुपालन में श्री अवनीश्वर चन्द्र श्रीवास्तव पुलिस उपाधीक्षक एस0टी0एफ0 मुख्यालय लखनऊ के पर्वेक्षण में अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

अभिसूचना संकलन के दौरान दिनांक 22–10–2024 को मुखबिर के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई, कि एक व्यक्ति नेपाल से भारी मात्रा में अवैध मादक पदार्थ (चरस) लेकर गोरखपुर से सड़क मार्ग द्वारा दिल्ली/गाजियाबाद जायेगा। इस सूचना पर उ0नि0 पवन कुमार सिंह, हे0का0 रमाशंकर चौधरी, हे0का0 राघवेन्द्र तिवारी, हे0का0 सूरज कुमार, हे0का0 चेतन सिंह, का0 सुधीर कुमार की टीम लखनऊ–अयोध्या राष्ट्रीय राजमार्ग थानाक्षेत्र जैदपुर, जनपद बाराबंकी स्थित अहमदपुर टोल प्लाजा पर घेराबंदी कर एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, जिसके पास से उपरोक्त बरामदगी हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त तौसीफ रजा ने पूछताछ में बताया कि उसका एक संगठित गिरोह है, जो बड़े पैमाने पर मादक पदार्थ (चरस) की तस्करी करता है। नेपाल निवासी एक व्यक्ति नेपाल से चरस लाकर इसको नौतनवा, महराजगंज में देता है। जिसे यह दिल्ली निवासी अपने रिष्तेदार को देने के लिए गाजियाबाद बुलाकर उनको चरस की खेप देता है। वह पष्चिमी उत्तर प्रदेष, हरियाणा, दिल्ली व पंजाब आदि राज्यों में सप्लाई करता है।

गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना जैदपुर, जनपद बाराबंकी में मु0अ0स0 375/2024 धारा–8/20 एन0डी0पी0एस0 एक्ट पंजीकृत कराकर दाखिल किया गया है। अग्रिम विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है।

एस0टी0एफ0–साइन सिटी इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी में जमीन/प्लाट के नाम पर इनवेस्ट कराकर करोड़ों की ठगी करने वाले गिरोह का सक्रिय सदस्य एवं रू0 50,000/– का पुरस्कार घोषित अपराधी राहुल शर्मा लखनऊ से गिरफ्तार।

दिनांकः 23–10–2024 को एस0टी0एफ0, उत्तर प्रदेश को साइन सिटी इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी में जमीन/प्लाट के नाम पर इनवेस्ट कराकर हजारों लोगों से करोड़ों की ठगी करने वाले गिरोह का सक्रिय सदस्य एवं रू0 50,000/– का पुरस्कार घोषित अपराधी राहुल शर्मा को लखनऊ से गिरफ्तार करने मे उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः–

1. राहुल शर्मा पुत्र सूर्य कान्त शर्मा निवासी–ग्राम व पोस्ट–गूढ़ा, थाना–षिवगढ़, जनपद– रायबरेली।

बरामदगी–

1. 01 अदद डीएल।
2. 01 अदद पैन कार्ड।
3. 01 अदद एटीएम कार्ड।
4. 610/–रू0 नकद।

गिरफ्तारी का दिनांक, स्थान व समयः– दिनांकः 23–10–2024 समय 15.25 बजे। स्थान आर0आर0–1, बन्धा थाना क्षेत्र गोमतीनगर, लखनऊ।

एसटीएफ, उत्तर प्रदेश को विगत काफी समय से फरार/पुरस्कार घोषित अपराधियों के सक्रिय होकर अपराध करने एवं अन्य अपराधों में लिप्त होने की सूचनायें प्राप्त हो रहीं थी। इस सम्बन्ध में एस०टी०एफ० की विभिन्न इकाईयो/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। जिसके अनुपालन में श्री विषाल विक्रम सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक, एस0टी0एफ0 लखनऊ के पर्यवेक्षण में टीम गठित कर अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

निरीक्षक श्री षिवनेत्र सिंह के नेतृत्व में मु0आ0 सुधीर सिंह, रमेष उपाध्याय, अमित कुमार की टीम जनपद लखनऊ में भ्रमणषील थी। इस दौरान ज्ञात हुआ कि साइन सिटी इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी में जमीन/प्लाट के नाम पर इनवेस्ट कराकर ठगी करने वालों लोगों के विरूद्ध थाना गोमती नगर, जनपद लखनऊ में मु0अ0सं0 630/2021 धारा 409, 420, 467, 467, 468, 471, 120–बी भा0द0वि0 का अभियोग पंजीकृत हुआ था। जिसमें अभियुक्त राहुल शर्मा वांछित है, और उसके गिरफ्तारी हेतु रू0 50 हजार का पुरस्कार घोषित है। वह आज आर0आर0 बन्धा पर किसी से मिलने के लिए आने वाला है। इस सूचना पर एसटीएफ टीम द्वारा उक्त स्थान पर पहुॅचकर वांछित अभियुक्त राहुल शर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके पास से उपरोक्त बरामदगी हुई।

पूछताछ मे गिरफ्तार अभियुक्त ने बताया कि उसने छत्रपति साहूजी महाराज विष्वविद्यालय कानपुर से एम0ए0 किया है। मार्च–2016 में साइन सिटी इंफ्रा प्रोजेक्ट प्रा0लि0, म0नं0– ए–105, साउथ सिटी, रायबरेल रोड, थाना–पीजीआई, लखनऊ में कम्प्यूटर आपरेटर के पद पर कार्य शुरू किया था। कम्पनी में अलग–अलग कार्यो के लिए अलग अलग डिपार्टमेन्ट एवं अलग अलग एच0ओ0डी0 थे। 04 माह बाद कम्पनी बोर्ड के चेयरमैन व सदस्यों की मीटिग में प्रस्ताव के माध्यम से आवंटियों को कम्पनी की तरफ से रजिस्ट्री करने के लिए उसे अधिकृत हस्ताक्षरी नियुक्त किया गया था। अभियुक्त ने यह भी बताया कि कम्पनी का मुख्यालय आर स्क्वायर काम्प्लेक्स, पॉचवॉ

तल, विपुल खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ में था। कम्पनी के **चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर (सीएमडी) राशिद नसीम एवं एमडी–आसिफ नसीम** थे। साइन सिटी इंफ्रा प्रोजेक्ट प्रा0लि0 द्वारा लोगों से जमीन/प्लाट खरीदने एवं विभिन्न प्रकार के इन्वेस्ट करने के नाम पर प्रलोभन देकर उनसे करोडों की ठगी की गयी है, जिस सम्बन्ध में जनपद लखनऊ सहित प्रदेष के विभिन्न जनपदों में लगभग सैकड़ों अभियोग पंजीकृत है।

<u>अभियुक्त का अपराधिक इतिहासः</u>

क्र0 सं0	**मु0अ0सं0**	**धारा**	**नाम थाना**	**जनपद**
1	247/2020	409,420,467,467,468,471,120बी भा0द0वि0	गोमतीनगर	लखनऊ
2	83/2020	409,420,467,467,468,471,120बी भा0द0वि0	गोमतीनगर	लखनऊ
3	29/2021	409,420,467,467,468,471,120बी भा0द0वि0	कोतवाली नगर	हरदोई
4	456/2021	409,420,467,467,468,471,120बी भा0द0वि0	गोमतीनगर	लखनऊ
5	582/2021	409,420,467,467,468,471,120बी भा0द0वि0	गोमतीनगर	लखनऊ
6	630/2021	409,420,467,467,468,471,120बी भा0द0वि0	गोमतीनगर	लखनऊ

उपरोक्त गिरफ्तार अभियुक्त को थाना गोमतीनगर, लखनऊ में पर्जीकृत मु0अ0सं0 630/21 धारा 409, 420, 467, 467, 468, 471, 120–बी भा0द0वि0 में दाखिल कर अग्रेतर कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है।

————